राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांक एफ 3(1)(2)प्रथम/निर्वा/2021/4488 जयपुर, दिनांक 26/9/2025

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), राजस्थान।

विषय : General/Bye Election to Parliamentary/Assembly Constituency- Penultimate round of Counting of votes through EVM/VVPATs & Postal Ballots/ETPBs-regarding.

प्रसंग : भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 470/INST/EPS-2023 दिनांक 25.09.2025

सन्दर्भ : (I) No. 464/Counting Arrangements/2023-EPS dated 18.07.2023
(II) No. 464/Counting Process/2023-EPS dated 19.07.2023
(III) No. 470/2019/SDR dated 18.05.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग ने सन्दर्भित पत्र क्रमांक (III) दिनांक 18.05.2019 के क्रम में दिनांक 18.07.2023 एवं दिनांक 19.07.2023 को सन्दर्भित संकलित दिशा–निर्देश (I) और (II) जारी किये थे, आयोग ने अपने प्रासंगिक पत्र दिनांक 25.09.2025 के द्वारा उक्त सन्दर्भित संकलित दिशा–निर्देश (I) और (II) के निम्न पैरा में आंशिक संशोधन किया है:–

A. मतगणना प्रक्रिया से संबंधित आयोग के सन्दर्भित निर्देश क्रमांक 464/Counting Process/2023-EPS दिनांक 19.07.2023 के पैरा 4(vi)(i) में संशोधन किया गया है।

B. मतगणना प्रक्रिया से संबंधित आयोग के सन्दर्भित निर्देश क्रमांक 464/Counting Process/2023-EPS दिनांक 19.07.2023 के पैरा 14 को संशोधित कर Mandatory re-verification of rejected postal ballots किया गया है।

C. मतगणना व्यवस्था से संबंधित आयोग के सन्दर्भित निर्देश क्रमांक 464/Counting Arrangements/2023-EPS दिनांक 18.07.2023 के पैरा 2(xxii) में संशोधन किया गया है।

अतः भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के प्रासंगिक पत्र दिनांक 25.09.2025 की छायाप्रति संलग्न कर अनुरोध है कि लोकसभा एवं विधानसभा आम/उप चुनावों में आयोग के उक्त नवीनतम दिशा–निर्देशों को रिटर्निंग अधिकारियों एवं चुनाव संबंधी प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाकर अक्षरशः कड़ाई से पालना सुनिश्चित करवायी जावें। सुलभ सन्दर्भ हेतु आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 25.09.2025 का हिन्दी वर्जन भी संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(नवीन महाजन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ 3(1)(2)प्रथम/निर्वा/2021/4488 जयपुर, दिनांक 26/9/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, सामान्य शाखा–प्रथम ए, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी, ईवीएम/वीवीपैट शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आई.टी.) राजस्थान, जयपुर।
5. विशेषाधिकारी, प्रशिक्षण शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. रिटर्निंग अधिकारी, 193–अंता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को आगामी विधानसभा उप निर्वाचन, 2025 में पालनार्थ।
7. समस्त रिटर्निंग अधिकारी, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान

विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

By Email/Speed Post

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Tel. No. 011-23052014
Website: www.eci.gov.in

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड, नई दिल्ली–110001.
Nirvachan Sadan,
Ashoka Road, New Delhi-110001

No.470/INST/EPS-2023

Dated: 25th Septemeber, 2025

To,

The Chief Electoral Officers
of All States/UTs.

Subject: **General/Bye Election to Parliamentary/Assembly Constituency-Penultimate round of Counting of votes through EVM/VVPATs & Postal Ballots/ETPBs - regarding.**

Reference: **Instructions vide letter No.**

(I) No.464/Counting Arrangements/2023-EPS dated 18.07.2023;
(II) No.464/Counting Process/2023-EPS dated 19.07.2023;
(III) No. 470/2019/SDR dated 18.05.2019;

Madam/Sir,

The Commission, vide instruction referred at (III) above had decided that the penultimate (second last) round of EVM counting would not be stopped till completion of postal ballot counting and EVM counting could go on irrespective of the stage of Postal Ballot counting. The same has been reiterated in para 4(vi)(i) of the instruction referred at (II). However, in order to further streamline the counting process and to provide necessary clarity to the counting of Postal Ballot, the Commission, in supersession of the instruction at reference (III) and partial modification of the instructions at reference (I) and (II) above, directs that: -

A. Para 4(vi)(i) of instruction no. 464/Counting Process/2023-EPS dated 19.07.2023 (Ref II) shall now be read as –

"*i) The penultimate (second last) round of EVM/VVPATs counting shall not be taken up until the counting of Postal Ballot Papers is completed at the counting center.*

However, in case of parliamentary constituency, if counting of votes assembly segment wise, is done at multiple counting centers, the penultimate round of EVM/VVPAT counting need not stop at all counting centers till completion of postal ballot counting. At counting centers where postal ballots are not being counted, AROs for Assembly Segments shall continue the counting of votes in EVMs irrespective of the stage of postal ballot counting. The penultimate round of EVM/VVPATs counting shall be stopped till completion of postal ballot counting, only at the counting center where Postal Ballot Paper counting is being done."

B. The Sub-head of para 14 of instruction no. 464/Counting Process/2023-EPS dated 19.07.2023 has been modified to - ***Mandatory re-verification of rejected postal ballots.***

C. Para 2(xxii) of instruction no. 464/Counting Arrangements/2023-EPS dated 18.07.2023 shall now be read as –

"(xxii) *Ideally not more than 500 Postal Ballots should be counted on one table. The number of tables and scanners needed for counting of Postal Ballots should be assessed by the RO, sufficiently in advance, on the basis of number of Postal Ballots issued and expected to be received as per past trends, availability of space etc. In case(s) of expected receipt of large number of Postal Ballot/ETPBs leading to requirement of more counting tables which cannot be accommodated in the EVM counting hall where the RO is sitting, the RO shall make arrangement for counting of ETPBs/PBs as follows: -*

a) *Counting of Postal Ballots may be done at multiple tables in a separate hall, adjacent to the counting hall made for EVMs/VVPATs or on the same floor.*

b) *Arrangements for ETPBs scanning shall be done in the hall, where ETPBs/Postal Ballot counting is proposed.*

c) *Each table for postal ballot counting shall have one ARO, one counting supervisor, two counting assistants and one Micro Observer (as mentioned in para 4-iv of Commission's instruction dated 18.07.2023);*

d) *Returning Officer shall also appoint one Senior Officer as ARO- in- charge of the PB counting hall.*

e) *The ARO-in-charge for PB Counting Hall shall be overall responsible for smooth conduct of counting, ETPBs scanning and PB counting in the hall. He shall coordinate with the Returning Officer in discharge of his duty.*

f) *The layout for separate ETPBs/PBs counting hall shall also be sent to Commission along with Counting Center proposal for approval."*

2. This may be brought to the notice of all concerned for strict compliance.

Yours faithfully,

Vibhor Agrawal
25/09/25

(VIBHOR AGRAWAL)
UNDER SECRETARY

Enclosure: All Instructions under reference.

Hindi Version

भारत निर्वाचन आयोग ने ईवीएम/वीवीपैट एवं पोस्टल बैलेट/ईटीपीबीएस के संबंध में पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों में निम्नानुसार संशोधन किया है:–

A. निर्देश संख्या 464/Counting Process/2023-EPS dated 19.07.2023 दिनांक 19.07.2023 के पैरा 4(vi) (i) को अब इस प्रकार पढ़ा जाएगा

"i) ईवीएम/वीवीपैट की गणना का अंतिम से पहले (दूसरे अंतिम) चरण तब तक नहीं शुरू किया जाएगा जब तक कि मतगणना केंद्र पर डाक मतपत्रों की गणना पूरी नहीं हो जाती।

हालाँकि, संसदीय क्षेत्र के मामले में, यदि विधानसभा क्षेत्रवार मतों की गिनती कई मतगणना केंद्रों पर की जाती है, तो ईवीएम/वीवीपैट की गिनती का अंतिम से पहले वाला दौर डाक मतपत्रों की गिनती पूरी होने तक सभी मतगणना केंद्रों पर रुकने की आवश्यकता नहीं है। जिन मतगणना केंद्रों पर डाक मतपत्रों की गिनती नहीं हो रही है, वहाँ विधानसभा क्षेत्रों के लिए AROs डाक मतपत्रों की गिनती के चरण की परवाह किए बिना ईवीएम में मतों की गिनती जारी रखेंगे। ईवीएम/वीवीपैट की गिनती का अंतिम से पहले वाला दौर डाक मतपत्रों की गिनती पूरी होने तक केवल उस मतगणना केंद्र पर रोका जाएगा जहाँ डाक मतपत्रों की गिनती हो रही है।

B. निर्देश संख्या 464/Counting Process/2023-EPS दिनांक 19.07.2023 के पैरा 14 के उप–शीर्षक को Mandatory re-verification of rejected postal ballots में संशोधित किया गया है।

C. निर्देश संख्या 464/Counting Arrangements/2023-EPS दिनांक 18.07.2023 के पैरा 2(xxii) को अब इस प्रकार पढ़ा जाएगा

"(xxii) आदर्श रूप से एक टेबल पर 500 से अधिक डाक मतपत्रों की गणना नहीं की जानी चाहिए। डाक मतपत्रों की गणना के लिए आवश्यक टेबलों और स्कैनरों की संख्या का आकलन RO द्वारा, पिछले रुझानों के अनुसार जारी किए गए और प्राप्त होने की अपेक्षित संख्या, स्थान की उपलब्धता आदि के आधार पर, पर्याप्त रूप से पहले ही कर लिया जाना चाहिए। यदि बड़ी संख्या में डाक मतपत्र/ईटीपीबी प्राप्त होने की अपेक्षित स्थिति में अधिक गणना टेबलों की आवश्यकता होती है, जिन्हें ईवीएम मतगणना हॉल में समायोजित नहीं किया जा सकता है, जहां RO बैठ रहे हैं, तो RO ईटीपीबीएस/पीबी की गणना के लिए निम्नानुसार व्यवस्था करेगा: –

a) डाक मतपत्रों की गणना ईवीएम/वीवीपैट के लिए बनाए गए मतगणना हॉल के निकट या उसी मंजिल पर एक अलग हॉल में कई टेबलों पर की जा सकती है।
b) ईटीपीबीएस स्कैनिंग की व्यवस्था उस हॉल में की जाएगी, जहां ईटीपीबीएस/डाक मतपत्रों की गणना प्रस्तावित है।
c) डाक मतपत्र गणना के लिए प्रत्येक टेबल पर एक ARO, एक गणना पर्यवेक्षक, दो गणना सहायक और एक माइक्रो ऑब्जर्वर होगा (जैसा कि आयोग के दिनांक 18.07.2023 के निर्देश के पैरा 4–iv में उल्लिखित है);

d) रिटर्निंग ऑफिसर एक वरिष्ठ अधिकारी को पीबी गणना हॉल का प्रभारी ARO भी नियुक्त करेगा।

e) पीबी गणना हॉल के प्रभारी ARO हॉल में मतगणना, ईटीपीबीएस स्कैनिंग और पीबी काउंटिंग के सुचारू संचालन के लिए समग्र रूप से जिम्मेदार होंगे। वे अपने कर्तव्य के निर्वहन में रिटर्निंग ऑफिसर के साथ समन्वय करेंगे।

f) अलग ईटीपीबीएस/पीबी मतगणना हॉल का लेआउट भी मतगणना केंद्र के प्रस्ताव के साथ अनुमोदन के लिए आयोग को भेजा जाएगा।

इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।